102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1116–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 61/अपील/2015–16.

पीयूष वल्द दिनेश कुमार खंडेलवाल
निवासी शनिचरा मोहल्ला बावई
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

सुरेश कुमार वल्द प्रेमनारायण खंडेलवाल
निवासी शनिचरा मोहल्ला बावई
तहसील बावई जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री एस.एस. पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बावई के प्रकरण कमांक 45/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, होशंगबाद के समक्ष दिनांक 18–2–2016 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 61/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 10–3–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों को समझने में गंभीर भूल की गई है, क्योंकि अवधि विधान का आवेदन पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब विलम्ब के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण हो । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 14–1–2016 को आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र दिया गया था और उसी दिनांक को उसे आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी उसके द्वारा जानबूझकर दिनांक 18–2–2016 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मेरिट के बिन्दु को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ समाविष्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर, निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का सहखातेदार है किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आदेश की सत्यप्रतिलिप प्राप्त होने के दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही तहसील न्यायालय द्वारा

अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का सहखातेदार होकर हितबद्ध पक्षकार है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को नामांतरण नियमों के नियम 27 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में 1995 आर.एन. 235 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ''धारा 110–राजस्व अभिलेख में परिवर्तन–परिवर्तन से दुष्प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति की सुनवाई किए बिना राजस्व अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसील न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है और ऐसे अवैध आदेश को किसी सभी समय चुनौती दी जा सकती है । इस संबंध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ''धारा 5–परिसीमा का प्रश्न–आदेश अधिकारिता रहित–ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है–परिसीमा का वर्जन नहीं है ।''

अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आवेदक का नामांतरण करने में अवैधानिकता की गई है । इस सम्बन्ध में 1987 आर.एन. 425 दिलीपबाई विरूद्ध शिवचरन तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :–

> ''धारा 47, 44 तथा 110–समय वर्जित अपील–बिना हक के नामांतरण–परिसीमा का वर्जन नहीं–अपील गुण–दोषों पर निर्णीत करना चाहिए ।''

इसी प्रकार 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा एक अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, म.प्र. तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ''**परिसीमा**–आरंभ होने का बिंदु–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य'' आदेश की तारीख''–अर्थ–''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

''**शब्द तथा वाक्य**–वाक्य ''आदेश की तारीख''–अर्थ–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य–''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर